

फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत..... उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा..... मुकाम..... भादरा.....
 सामप्रताप..... बंजाम..... भापुराम आदि.....
 सप्त मुकदमा..... 212 RT Act..... नं०..... 56 / 09.07.18..... सान..... 2018.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जाल	नगर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ
------------	----------------------------------	--

09-07-18 आज यह प्रकरण जारिसे वकील प्रार्थी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिसे समन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.08.2018 को पेश है।

(Signature)

16/7/18

आज अट पनावली शर्षी कस रज्जल कारा शर्षना पत्र पेश करने पर पेशी में सीआई वकील शर्षी की वकालत हुनी ठहरी। वकालत वकील न वकालत म के तालुका डोकड कस शर्षीगण के विरुद्ध आजागी नारीखपेशी नड अन्याय अन्वयई निषेधाज्ञा इस उमर की पारी की पानी ई कि नारशरी म रिकर्ड व सौकु की पद्याविवानि बनार मखे व शर्षी के कवणा कालन मे देखलनदानी न करे। पनावली डूर के सिटोदिन दिनांक 29.8.18को पेशा है।

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा (दिल्ली-इन्दौरमार्ग)

18/8

पत्रावली पेश हुई बार सवंध का कार्य स्थगित है। गल आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3-10-18 को पेश हो
(Signature)

वकील वादी/अतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप पत्रावली गल आदेशानुसार कारसे. न.म.र.का.दे.का.मु.आर. दिनांक 25-10-18 को पेश हो।
(Signature)

3-10-18

22/01/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 212 RTA से सम्बन्धित मूल
वाह का निवेदन ले चुका है। इसीलिए प्रार्थना पत्र 212 RTA
इसी स्तर पर खारिज किया जाना है। पत्रावली नम्बर से 45
की आधार कुशल सुमार है।

[Handwritten Signature]
22/01/23

डॉ. शिवकान्त (सचिव)
सूचना विभाग-दिल्ली